भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1361
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का चयन

1361. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर:

क्या**ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सिफारिश पत्र भी शामिल किए गए हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले में उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों के चयन के मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) पीएमजीएसवाई को एकबारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में आरंभ किया गया था , जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट आबादी आकार (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) के पात्र सड़क संपर्क रहित बस्तियों को बारहमासी सड़क के जरिए ग्रामीण संपर्कता प्रदान करना था। जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों और चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय (एमएचए) और तत्कालीन योजना

आयोग द्वारा चिन्हित) को छूट प्रदान की गई है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कोर नेटवर्क में विद्यमान 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाले इन क्षेत्रों में संपर्क रहित बसावटेंइस योजना के अंतर्गत संपर्कता के लिए पात्र हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित महत्वपूर्ण ब्लॉकों (जैसा कि गृह मंत्रालय ने चिन्हित किया है) में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली संपर्कविहीन बसावटों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना में उन जिलों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों के अनुसार) का भी एक तत्व शामिल था, जहाँ निर्दिष्ट आबादी के आकार की सभी पात्र बसावटोंको बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की गई है।

(ii) पीएमजीएसवाई -II को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर को अपग्रेड करने का लक्ष्य था, ताकि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके। लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन **अनुबंध-I**में दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित समग्र लक्ष्यों के भीतरलक्ष्यों का जिलावार/ब्लॉक-वार आबंटन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी विशेष जिले/ब्लॉक में सड़कों का चयन पात्र सड़कों के उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाता है जिसकी गणना उनकी आर्थिक क्षमता और ग्रामीण बाजार केन्द्रों और ग्रामीण केन्द्रों के विकास को सुगम बनाने में उनकी भूमिका के आधार पर की जाती है।

(iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 9 राज्यों के 44 सबसे अधिक प्रभावित एलडब्ल्यूई जिलों और आसपास के जिलों में चुनी गई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण / उन्नयन के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के दो उद्देश्य हैं- सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद रोधी अभियानों को सक्षम करना और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़कों का चयन गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों के गृह विभागों और वामपंथी उग्रवाद की हिंसा का मुकाबला करने वाले सुरक्षा बलों के परामर्श से किया जाता है।

(iv) पीएमजीएसवाई-III की शुरुआत वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के साथ जोड़ने वाले कुल 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के सुदृढ़ीकयण के

उद्देश्य से की गई थी । लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन **अनुबंध-II**में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित समग्र लक्ष्यों के भीतर लक्ष्यों का जिलावार/ब्लॉक-वार आबंटन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी विशेष जिले/ब्लॉक में सड़कों का चयन सड़कों के उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसकी गणना संबंधित सड़कों का उपयोग करने वाली जनसंख्या और सड़क से जुड़ी बाजार, शैक्षिक संस्थान, अस्पतालों और परिवहन अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर की जाता है।

(v) पीएमजीएसवाई-IV 2024 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से 2024-25 से 2028-29 के दौरान जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी इलाकों में 500+, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्र (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र), और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले लगभग 25,000 सड़क संपर्क रहित बसावटोंको संपर्कता प्रदान करने के लिए 70,125 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश: 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य अंश : 21,037.50 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ आरंभ किया गया।

(ख) पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों में सड़कों के चयन और निर्माण सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में माननीय संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है।

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, सांसदों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया जाना आवश्यक है। सड़कों के चयन के लिए सांसदों से परामर्श हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी है:

(i) व्यापक उन्नयन सह समेकन प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) संबंधित सांसदों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि सीयूसीपीएल में से कार्यों के चयन पर उनके प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजे जाएं।

(ii) ब्लॉक-जिलावार आवंटन और उपलब्ध निधि के आधार पर, अपेक्षित प्रस्तावों का आकार भी सांसदों को सीयूसीपीएल सूची भेजते समय सूचित किया जाता है। सड़कों का जिलावार

आवंटन भी प्राथमिकता के घटते क्रम में अपेक्षित भौगोलिक विस्तार के साथ इंगित किया जाता है ताकि चयन किया जा सके।

(iii) निर्धारित तिथि तक सांसदों से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूर्ण विचार किया जाना है, जिसमें शामिल न किए जाने के प्रत्येक मामले में कारण दर्ज किया जाएगा । ऐसे प्रस्ताव जिन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है , उन्हें प्रत्येक मामले में शामिल न किए जाने के कारणों के साथ सांसदों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(iv) जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन के पश्चात , प्रस्ताव पी.आई.यू. द्वारा एस.आर.आर.डी.ए. को अग्रेषित किए जाते हैं। उस समय पी.आई.यू., प्रोफार्मा एम.पी.-I तथा एम.पी.-II में सांसदों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण तैयार करके प्रस्तावों के साथ भेज देता है। ऐसे सभी मामलों में , जहां सांसदों का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है , जिला पंचायत द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर ठोस कारण बताए जाने चाहिए।

(v) इसके बाद राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं तथा संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूरा विचार किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें मंजूरी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दिशानिर्देशों के इस पहलू पर उचित ध्यान दें , मंत्रालय ने 2 जून, 2020 को राज्यों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्तावों में कुछ सड़कों को शामिल न करने के कारणों के साथ प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तावों की अंतिम सूची संसद सदस्यों को बताएं और अनुमोदन के लिए एनआरआईडीए/मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों पर उनकी सहमति प्राप्त करें।

(ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (27.11.2024 तक) के दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले में कुल 74 सड़कें (230.95 किमी) और 37 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**सड़कों की संख्या**	**सड़क की लंबाई (कि.मी. में)**	**पुलों की संख्या**
2019-20	18	13.496	14
2020-21	18	44.492	14
2021-22	11	34.23	2

2022-23	9	96.259	6
2023-24	15	35.012	0
2024-25 (27.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	3	7.461	1
कुल	**74**	**230.95**	**37**

इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत (27.11.2024 तक) 16.84 किलोमीटर की 11 सड़कों और 17 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या1361के उत्तर के भाग(क)में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत कवर किए जाने वाले सड़क कार्य की राज्य-वार लंबाई

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**लम्बाई कि.मी. में**
1	आंध्र प्रदेश	2,285
2	अरुणाचल प्रदेश	550

3	असम	1,730
4	बिहार	2,465
5	छत्तीसगढ़	2,245
6	गोवा	25
7	गुजरात	1,205
8	हरियाणा	1,000
9	हिमाचल प्रदेश	1,250
10	जम्मू और कश्मीर	780
11	झारखंड	1,650
12	कर्नाटक	2,245
13	केरल	570
14	मध्य प्रदेश	4,945
15	महाराष्ट्र	2,620
16	मणिपुर	325
17	मेघालय	490
18	मिजोरम	195
19	नागालैंड	225
20	उड़ीसा	3,760
21	पंजाब	1,345
22	राजस्थान	3,465
23	सिक्किम	115
24	तमिलनाडु	2,950

25	त्रिपुरा	310
26	उत्तराखंड	915
27	उत्तर प्रदेश	7,575
28	पश्चिम बंगाल	2,515
29	संघ राज्य क्षेत्र	250
कुल		**50,000**

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1361के उत्तर के भाग (क)में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत लंबाई का आबंटन

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत आबंटित लंबाई (कि.मी. में)
1.	अंडमान और निकोबार	200
2.	आंध्र प्रदेश	3,285
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,375
4.	असम	4,325
5.	बिहार	6,162.5
6.	छत्तीसगढ़	5,612.5
7.	गोवा	62.5
8.	गुजरात	3,012.5
9.	हरियाणा	2,500
10.	हिमाचल प्रदेश	3,125
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1,750
12.	झारखंड	4,125
13.	कर्नाटक	5,612.5
14.	केरल	1,425
15.	लद्दाख	500
16.	मध्य प्रदेश	12,362.5
17.	महाराष्ट्र	6550
18.	मणिपुर	812.5

19.	मेघालय	1225
20.	मिजोरम	487.5
21.	नागालैंड	562.5
22.	उड़ीसा	9,400
23.	पुदुचेरी	125
24.	पंजाब	3,362.5
25.	राजस्थान	8,662.5
26.	सिक्किम	287.5
27.	तमिलनाडु	7375
28.	तेलंगाना	2,427.5
29.	त्रिपुरा	775
30.	उत्तराखंड	2,287.5
31.	उत्तर प्रदेश	18,937.5
32.	पश्चिम बंगाल	6,287.5
कुल		**125,000**